

**सीएसआईआर - भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू**  
**CSIR - INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU**

सं०/Ref.:E-11012/2/2025-ESTT-IIIM

दिनांक/Date: 18.03.2025

**कार्यालय ज्ञापन | OFFICE MEMORANDUM**

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू ने संस्थान में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु हिन्दी में टिप्पणी व प्रारूप लेखन हेतु यथा संशोधित राजभाषा प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत संस्थान के नियमित कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में टिप्पणी व प्रारूप लेखन कार्य के अलावा रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ तथा सूची तैयार करने जैसे कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रशासनिक टिप्पण/आलेखन कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरे गए विवरण की स्पष्टता, उनके द्वारा सम्पन्न कार्य की प्रकृति (पुनरावर्ती/विविधतापूर्ण), हाथ से लिखे गए एवं टंकित कार्य का अनुपात, उनके हस्ताक्षर (हिन्दी/अंग्रेज़ी) एवं हिन्दी में टाइपिंग की कुशलता, कुल कार्य में से हिन्दी कार्य का प्रतिशत तथा हिन्दी कार्य की वास्तविक मात्रा (समिति द्वारा आंकलित) के आधार पर पुरस्कार योजना हेतु कार्मिकों की संस्तुति की जाएगी।

**पुरस्कार योजना हेतु कार्मिकों की पात्रता निम्नलिखित मापदण्डों पर निर्धारित की जाएगी:**


पात्रता	आवेदनकर्ता
पात्र होंगे	1. जिन्होंने संबंधित वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 20,000 शब्द हिन्दी में लिखे हों। 2. जिन्होंने अपने कार्य का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भर कर अपने अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख से सत्यापित करवाया हो।
पात्र नहीं होंगे	3. वह आशुलिपिक/टाइपिस्ट जो सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं तथा हिन्दी अधिकारी व हिन्दी अनुवादक जो सामान्यतः अपना कार्य हिन्दी में करते हैं, इस योजना में भग लेने के पात्र नहीं होंगे।

भाग लेने वाले कार्मिकों द्वारा संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा नियमित रूप से तैयार रखा जाएगा जिसके सत्यापन हेतु इस योजना से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राकास), यदि चाहे तो, आकस्मिक निरीक्षण कर सकती है।

**योजना से संबंधित पुरस्कार राशि निम्नलिखित प्रकार से है:**

- क. प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार) : ₹5000/- (पाँच हजार रुपए मात्र)  
ख. द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार) : ₹3000/- (तीन हजार रुपए मात्र)  
ग. तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार) : ₹2000/- (दो हजार रुपए मात्र)

योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक कार्मिक को अपने नाम निर्धारित प्रपत्र में भर कर, अपने कार्य के यथास्थापित विवरण सहित, प्रत्येक तिमाही के समापन के उपरांत हिन्दी अनुभाग में भिजवाना होगा।

  
अनुभाग अधिकारी (स्था.)/Section Officer (Estt.)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ/Copy to:**

1. सभी अनुभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष / All HODs.
2. निदेशक के निजी सचिव/PA to Director.
3. प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer.